

24.12.2024:-पत्रावली पेशी में ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये जा रहे। उपस्थित नहीं आ रहे। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

